न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 1360/2021
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 03.12.2021
निर्णय दिनांक – 07.01.2026

अनवान

1. हजारी पिता देवा जी बलाई निवासी करणपुरिया तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द।

....................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।
2. हीरालाल पिता खुमा जी सालवी निवासी वासनी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द।

....................विपक्षी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री जीतेन्द्र पालीवाल
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वासनी पटवार हल्का खटामला तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य तथा खातेदारी की आराजी नंबर 1464/1040 रकबा 0.6475 हेक्टर एवं आराजी नंबर 1502/1040 रकबा 0.0971 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7446 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थी के द्वारा खातेदार श्री खेमा पिता वज्जा जी बलाई निवासी वासनी एवं श्री जगरूप पिता देवा जी बलाई निवासी करणपुरिया तहसील कुंवारिया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा है। जिसका नामान्तरण खोला जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। तभी से प्रार्थी उक्त कृषि भूमियों पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 2 प्रार्थी की भूमि का पडौसी है, जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि में बने हुए सीमा स्तम्भ को हटा दिया जाता है और मौके पर स्तम्भ को प्रार्थी की स्वीकृति सहमति के बिना समाप्त कर दिया जाता है। सीमा स्तम्भ समाप्त होने से विपक्षीगण प्रार्थी को हैरान परेशान कर रहे है एवं मौके पर सीमा स्तम्भ नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि में अतिक्रमण करने पर उतारू हो रहे है। इसलिए प्रार्थी की भूमि का सीमांकन करवाया जाना एवं पत्थरगढी करावाया जाना आवश्यक है। जिसका समस्त खर्च प्रार्थी वहन करने को तैयार है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायाा जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 सरकार की और से तहसीलदार कुंवारिया द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी खातेदार है तथा मौके पर निर्माण एवं अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो पत्थरगढी किया जाना उचित बताया है। विपक्षी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ जिससे

Scanned with ACE Scanner

विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाहीं की जाकर प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया जिससे यह जाहिर आया कि प्रकरण प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी का है। पैरोकार सरकार द्वारा भी मौके पर निर्माण एवं अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी किया जाना उचित बताया गया है। न्यायालय का मत है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा निर्धारित कराने/सीमा का ज्ञान प्राप्त करने/अपनी निर्धारित सीमा पर नाशानात अंकित कराने/पत्थरगढी कराने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार कुंवारिया को मौका कमिश्नर शुल्क राशि रूपये 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये) के शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सूचित कराते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम वासनी पटवार हल्का खटामला तहसील कुंवारिया की आराजी नंबर 1464/1040 रकबा 0.6475 हेक्टर एवं आराजी नंबर 1502/1040 रकबा 0.0971 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7446 हेक्टर भूमि की पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आदेशानुसार पालनार्थ तहसीलदार कुंवारिया को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

Scanned with ACE Scanner